प्रेस विज्ञप्ति

03.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप आंचलिक कार्यालय ने केनरा बैंक, कंचारपालेम शाखा, विशाखापत्तनम में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मछली टैंक ऋण लेकर धोखाधड़ी करने के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 2.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति और 1.36 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्ति (कुल 2.22 करोड़ रुपये) को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां डोडला वेंकट कृष्ण कुमार और उनकी पत्नी श्रीमती डोडला सुनीता के नाम पर आवासीय फ्लैट, प्लॉट और बैंक बैलेंस के रूप में हैं क्योंकि उन्होंने केसीसी मछली टैंक ऋण राशि का उपयोग किया था, जो उधारकर्ताओं श्रीमती देवसनी निर्मला, श्रीमती अदारी चंद्रकला और कोव्वुरी श्रीनिवास द्वारा केनरा बैंक, कंचारपालेम शाखा, विशाखापत्तनम से अपने व्यक्तिगत/व्यावसायिक उपयोग के लिए लिया गया था।

ईडी ने आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी स्थित सीआईडी मुख्यालय पुलिस स्टेशन द्वारा श्रीमती देवसनी निर्मला, श्रीमती अदारी चंद्रकला, कोव्वुरी श्रीनिवास, डीवीके कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। एफआईआर और आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि कोव्वुरी श्रीनिवास और श्रीमती अदारी चंद्रकला ने फर्जी लीज एग्रीमेंट और पासबुक जमा करके क्रमशः 80 लाख रुपये और 2.50 करोड़ रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड (मछली) ऋण प्राप्त किया; श्रीमती देवसनी निर्मला ने भी 2.20 करोड़ रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड (मछली) ऋण लिया और उक्त ऋणों का भुगतान नहीं किया।

ईडी की जाँच से पता चला है कि डीवीके कुमार ने उक्त तीनों कर्जदारों को स्वीकृत 5.50 करोड़ रुपये के केसीसी फिश टैंक ऋण में से 4.57 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया और वह अंतिम लाभार्थी था। स्वीकृत केसीसी ऋण राशि नकद में निकाली गई, कर्जदारों के खातों से डीवीके कुमार के मित्रों/रिश्तेदारों के खातों में स्थानांतरित की गई और उसका इस्तेमाल डीवीके कुमार ने अपने निजी/व्यावसायिक उपयोग के लिए किया। अपराध की आय का एक हिस्सा डीवीके कुमार ने अपनी पत्नी श्रीमती डोडला सुनीता के नाम पर अचल संपत्तियाँ अर्जित करने के लिए इस्तेमाल किया।

आगे की जाँच जारी है।